

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला – बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्र.क.क.मांक-416/2012
 संस्थित दिनांक-21/05/2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

विरुद्ध

उमेश परोहा पिता पुरुषोत्तम, उम्र-34 वर्ष,
 निवासी-मकान नम्बर 1462/1ई, गायत्री नगर,
 आधारताल जबलपुर, जिला-जबलपुर (म.प्र.)

----- **अभियुक्त**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-08/10/2014 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक-23.04.2012 को समय 12:00 बजे स्थान ब्राम्हण टोला अग्निहोत्री के खेत के सामने थाना गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन कार क्रमांक-एम.पी.20/सी.बी.7098 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए, उक्त वाहन से आहत धनसिंह को टक्कर मारकर आहत धनसिंह को अस्थि भंग कारित कर घोर उपहति कारित किया।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक-23.04.2012 को समय 12:00 बजे स्थान ब्राम्हण टोला अग्निहोत्री के खेत के सामने थाना गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट के अंतर्गत आहत धनसिंह सायकल से जा रहा था तभी आरोपी ने वाहन कार क्रमांक-एम.पी.20/सी.बी.7098 को लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए लाया और आहत धनसिंह की सायकल को टक्कर मार दिया, जिससे आहत सायकल से गिर गया और उसे चोट कारित हुए। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी धनसिंह के द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाना गढ़ी में दर्ज की गई, उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना गढ़ी में उक्त दुर्घटना कारित वाहन के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-26/2012, धारा-279, 337 भा.दं.सं. एवं धारा-184 मोटर यान अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मुलाहिजा करवाया गया था, पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया,

जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आहत धनसिंह की चिकित्सीय एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार आहत को अस्थि भंग होने से धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी दिनांक-23.04.2012 को समय 12:00 बजे स्थान ब्राम्हण टोला अग्निहोत्री के खेत के सामने थाना गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन कार क्रमांक-एम.पी.20/सी.बी.7098 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत धनसिंह को टक्कर मारकर आहत धनसिंह को अस्थि भंग कर घोर उपहति कारित किया?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5- फरियादी/आहत धनसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह घटना के समय सायकल से एक टीन तेल लेकर कोयलीखापा जा रहा था, मोतीनाला के तरफ से एक चार चक्का वाहन आया और उसे टक्कर मार दिया, जिससे वह गिर गया और उसके दाहिने पैर में अस्थि भंग हो गया। उक्त चार पहिया वाहन के चालक ने उसके साईड में लाकर टक्कर मारी थी तथा उक्त चालक की गलती थी। उक्त घटना के समय उक्त वाहन को आरोपी चला रहा था। घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 थाना गढ़ी में की थी। उसका चिकित्सीय परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में हुआ था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने रिपोर्ट लिखाते समय पुलिसवालों ने गाड़ी का नम्बर नहीं बताया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जितने गति से दूसरे वाहन चलते हैं उतने ही गति दुर्घटना कारित वाहन चलता है। साक्षी ने घटना के समय शराब पिये होने और स्वयं सायकल से गिर जाने के तथ्य से इंकार किया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है कि दुर्घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी। इस प्रकार साक्षी ने उसके पुलिस कथन एवं रिपोर्ट के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

6— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि आहत धनसिंह (अ.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वतः कथन किया है कि घटना 25 तारीख वैशाख माह की है तथा उसने पुलिस को घटना की तारीख 23 लिखायी हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकता। बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि उक्त आधार पर आहत धनसिंह की साक्ष्य अभियोजन मामले से हटकर होने के कारण विश्वसनीय न होने से अभियोजन को उक्त साक्षी से समर्थन प्राप्त नहीं होता है। उक्त तर्क के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि घटना दिनांक-23.04.2012 उल्लेखित है। साक्षी धनसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना न्यायालयीन कथन के एक वर्ष पूर्व की होना बताया है, जबकि प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसे घटना की तारीख पूछे जाने पर साक्षी ने 25 तारीख वैशाख माह प्रकट किया है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी ग्रामीण परिवेश का कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, जिसे अंग्रेजी माह का नाम याद नहीं बल्कि वह हिन्दी कैलेंडर के माह के आधार पर घटना का समय घटना के एक साल तीन माह बाद न्यायालयीन कथन में प्रकट किया है। ऐसी दशा में घटना के अंतराल के पश्चात् न्यायालयीन कथन में मात्र दो दिन का अंतर हो जाने से समूची घटना पर अविश्वास करने का कारण या आधार नहीं माना जा सकता।

7— साक्षी करनसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आहत धनसिंह को जानता है। घटना के समय आहत धनसिंह टीन का डिब्बा लेकर सायकल से आ रहा था तो एक जीप ने उसे टक्कर मार दी थी, जिससे आहत धनसिंह गिर गया था। उसने उक्त वाहन का नम्बर नहीं देख पाया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना कैसे हुई और आहत धनसिंह को कैसे चोट आयी, वह नहीं बता सकता। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि वह भीड़ देखकर घटना स्थल पर गया था। इस प्रकार साक्षी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय आहत धनसिंह को वाहन दुर्घटना के कारण चोट कारित हुई थी, किन्तु इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि उक्त दुर्घटना कारित वाहन को आरोपी चला रहा था या आरोपी के वाहन से दुर्घटना कारित हुई थी।

8— फुलमतबाई (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आहत धनसिंह उसका पति है। घटना के समय आहत धनसिंह तेल का टीन लेने गया था और सामने से एक जीप आयी है और उसके पति को ठोस मार दी, जिससे उसके पति का पैर टूट गया था। दुर्घटना जीप वाले की गलती से हुई थी, उसका पति साईड से सायकल पर था। साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि घटना के समय वह जीप के चालक को नहीं देख पायी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना स्थल से वह दूरी पर थी, इस कारण नहीं बता सकती कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी की दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में पहचान नहीं की है, किन्तु इस तथ्य की पुष्टि की है कि घटना के समय वाहन

दुर्घटना होने से उसके पति धनसिंह के पैर में अस्थि भंग हो गया था।

9— चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एन.एस.कुमरे (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर होते हुए पुलिस द्वारा पेश करने पर उसने आहत धनसिंह का चिकित्सीय परीक्षण किया था। आहत धनसिंह के दाहिने पैर में अस्थि भंग के लक्षण पाये थे तथा शरीर पर अन्य साधारण चोटें होना भी पाया था। आहत के पैर की चोट के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आहत का एक्सरे परीक्षण किया था, जिसमें उसने आहत को अस्थि भंग होना पाया था। एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार साक्षी ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि घटना के समय आहत को दुर्घटना के कारण उसके दाहिने पैर में अस्थि भंग होने से घोर उपहति कारित हुई थी।

10— अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजकुमार हिरकने (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने दिनांक-23.04.2012 को थाना गढ़ी में प्रधान आरक्षक होते हुए अपराध क्रमांक-26/2012, धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं धारा-184 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श डी-1 तैयार किया था। उसने साक्षी करनसिंह, फूलमतबाई एवं आहत धनसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया है। उसने दिनांक-23.04.2012 को ही आरोपी से साक्षियों के समक्ष एक फोर्ड कम्पनी की कार जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-6 तैयार किया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता।

11— आहत धनसिंह (अ.सा.1) ने आरोपी को दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में पहचान करते हुए उसकी गलती से दुर्घटना कारित होना प्रकट किया है। आहत धनसिंह ने उसे दाहिने पैर में अस्थि भंग होने के कथन किये हैं, जिसका समर्थन अन्य साक्षी फूलमतबाई (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में किया है, इसके अलावा चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एन.एस.कुमरे (अ.सा.4) ने भी अपने चिकित्सीय अभिमत में घटना के समय आहत धनसिंह को दाहिने पैर में अस्थि भंग होने की पुष्टि की है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने जप्ती कार्यवाही सहित सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है। उक्त सभी महत्वपूर्ण तथ्य का बचाव पक्ष की ओर खण्डन नहीं किया गया है। बचाव पक्ष का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि एकमात्र आहत धनसिंह के अलावा अन्य साक्षीगण ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है, जिससे अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता।

12— विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की साक्ष्य भी

आरोपी की दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। आहत धनसिंह (अ.सा.1) की स्पष्ट एवं विश्वसनीय साक्ष्य का समर्थन फूलमतबाई (अ.सा.3), डॉक्टर एन.एस.कुमारे (अ.सा.4) एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य से होता है। आहत धनसिंह (अ.सा.1) के प्रतिपरीक्षण में आरोपी की दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में पहचान करते हुए उसकी गलती से दुर्घटना कारित होने तथ्य को बचाव पक्ष की ओर से खण्डित नहीं किया गया है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। आहत धनसिंह को उक्त दुर्घटना में अस्थि भंग का तथ्य भी प्रमाणित है। उक्त सम्पूर्ण तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि घटना के समय आरोपी ने लोकमार्ग पर दुर्घटना कारित वाहन कार क्रमांक-एम.पी.20/सी.बी.7098 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा आहत धनसिंह को टक्कर मारकर दाहिने पैर में अस्थि भंग कर घोर उपहति कारित की।

13— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आरोपी ने लोकमार्ग पर वाहन कार क्रमांक-एम. पी.20/सी.बी.7098 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत धनसिंह को टक्कर मारकर अस्थि भंग कर घोर उपहति कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

14— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उनके द्वारा मामले में वर्ष 2012 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहे हैं। अतएव उसे केवल अर्धदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

15— मामले में एकमात्र आहत धनसिंह को चोट आना प्रकट होता है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्धदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अपराध के अंतर्गत कमशः 1000/-, 1000/- (एक-एक हजार रुपये) के अर्धदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्धदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को एक-एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

16— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

17— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन फोर्ड कार क्रमांक-एम.पी.20/सी.बी.7098 सुपुर्ददार उमेश पिता पुरुषोत्तम, निवासी आधारताल जबलपुर जिला जबलपुर को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है। अतएव अपील अवधि पश्चात् सुपुर्दनामा उसके पक्ष

में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)